झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

विषय :- राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने सीधी नियुक्तियों में निहित आरक्षण अनुपात को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने का निश्चय किया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु सुविधा प्राप्त हो सके और जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के अंतर्गत व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश प्रशिक्षण से संबंधित नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सम्भव हो सके।

2. इस सम्बन्ध में झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा संकल्प सं0-5800, दिनांक-10.10.2002 निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विनिर्दिष्ट व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सीटों के विरूद्ध नामांकन में अनुसूचित जाति हेतु 10 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति हेतु 26 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर) हेतु 14 प्रतिशत कुल 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

3. भारत का संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग, जो संविधान की धारा 15(4) एवं 15(5) से आच्छादित न हों, के लिए राज्य सरकार को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) के नामांकन में कुल सीटों का अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान प्रदत्त करने की शक्ति प्रदान की गयी है, जो वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त होगा।

4. "आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा पारिवारिक आय एवं आर्थिक प्रतिकूलता के अन्य संकेतकों के आधार पर समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यन्त पिछड़ा

Principal in-charge
Dr. S. Radhakrishanan Teachers'
Training College, Sukrigarha
Lari, Ramgarh 825101

वर्ग (अनुसूची 1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2) को छोड़कर अन्य वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग।

5. राज्य सरकार ने संविधान के उक्त संशोधन के आलोक में राज्य स्तरीय सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित करने का निर्णय लिया है।

6. अतएव पूर्व में निर्गत संकल्प सं0–5800, दिनांक–10.10.2002 को संशोधित करते हुए अब राज्य सरकार के अधीन कार्यरत सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों (अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर) में उपलब्ध सीटों के विरूद्ध नामांकन निम्नलिखित रूप से विनियमित किया जा सकेगा; यथा :–

(क)	खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि से	–	40 प्रतिशत
(ख)	आरक्षित कोटि से	–	60 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि की 60 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों की रिक्तियाँ निम्न रूपेण होंगी :–

(क)	अनुसूचित जाति	–	10 प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजाति	–	26 प्रतिशत
(ग)	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 1)	–	08 प्रतिशत
(घ)	पिछड़ा वर्ग (अनुसूची 2)	–	06 प्रतिशत
(ङ)	आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (उपर्युक्त कंडिका (क), (ख), (ग) एवं (घ) में अंकित वर्गों को छोड़कर)–		10 प्रतिशत
		कुल	60 प्रतिशत

7. **नामांकन में आरक्षण का विनियमनः–**

(1) राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा अनुमान्य आरक्षण प्रतिशत एवं उनके द्वारा समय–समय पर संशोधन आरक्षण प्रतिशत के अतिरिक्त अन्य कोई आरक्षण देय नहीं होगा।

R.V.Horo

Principal In-charge
Dr. S. Radhakrishanan Teachers' Training College, Sukrigarha
Lari, Ramgarh 825101

(2) यदि नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो उस वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को निम्नांकित रूप से विनियमित किया जायेगा :–

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा।

(ख) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उन सीटों को निम्नलिखित अधिमानता क्रम से भरा जायेगा :–

(i) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से।

(ii) पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों से।

(ग) यदि इसके बाद भी सीटें बची रह जाती हैं तो उन्हें सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

(3) यदि आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो उन सीटों को सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।

8. आरक्षित कोटि के उम्मीदवार की गणना, जो अपने गुणागुण के आधार पर चुने जाते हैं, खुली गुणागुण कोटि की 40 प्रतिशत रिक्तियों के विरुद्ध की जायेगी, न कि आरक्षित कोटि के रिक्तियों के विरुद्ध।

9. इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

15/2/19

(के० के० खण्डेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14/आ०नी०–04–02/2019 का॰– 1434 / रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

15/2/19

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

R.V.Horo
2/12/23
Principal In-charge
Dr. S. Radhakrishanan Teachers' Training College, Sukrigarha
Lari, Ramgarh 825101

ज्ञापांक–14 / आ0नी0–04–02 / 2019 का॰– 1434 / रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची / सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची / महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / मुख्य सचिव के सचिव / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / निःशक्तता आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों / राज्य के सभी लोक उपक्रमों / निगमों / निकायों / परिषदों / विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों / विद्यालयों को इस निर्णय से अवगत कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक–14 / आ0नी0–04–02 / 2019 का॰– 1434 / रांची, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि :– सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची / सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

R.V.Horo
Principal In-charge
Dr. S. Radhakrishanan Teachers' Training College, Sukrigarha
Lari, Ramgarh 825101

झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

विषय:- राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) की पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने सीधी नियुक्तियों में विहित आरक्षण अनुपात को सरकारी/अर्द्धसरकारी व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण प्रतिशत निर्धारित करने का निश्चय किया है ताकि समाज के कमजोर वर्गों को पर्याप्त संख्या में शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु सुविधा प्राप्त हो सके और जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार के अंतर्गत व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश प्रशिक्षण से संबंधित नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सम्भव हो सके ।

2. इस संबंध में झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा संकल्प संख्या-3884, दिनांक-05.11.2001 निर्गत किया गया है । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में आरक्षण एवं विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-WP(PIL) 3696/2002 रजनीश मिश्रा बनाम राज्य सरकार, WP(PIL) 4706/2001 दिनेश नीरज शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य के द्वारा चुनौती दी गयी और इस संबंध में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के 5 माननीय न्यायाधीशों के बेंच द्वारा सभी पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् दिनांक-22.8.2002 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया एवं पुनः दिनांक-30.9.2002 को उक्त अंतरिम आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए एक और आदेश पारित किया गया ।

3. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के उक्त अंतरिम आदेश एवं संशोधित आदेश के अनुसार झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण 50 प्रतिशत तक सीमित रखी जायेगी और इसका निर्धारण करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र होगा ।

उक्त आदेश में यह भी कहा गया है कि उक्त याचिकाओं के अंतिम निर्णय होने तक, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर है एस०एल०पी०

R.V.Horo
Principal In-charge
Dr. S. Radhakrishanan Teachers' Training College, Sukrigarha
Lari, Ramgarh 825101

13526/1993 Voice (Consumer Council) Vrs. State of Tamil Nadu के फ़ैसले पर आधारित होगा, 23 प्रतिशत पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में गुणागुण (मेरिट) कोटि से तदर्थ/औपबंधिक रूप से नियुक्ति की जायेगी ।

शेष 27 प्रतिशत सेवाओं एवं पदों की रिक्तियों में नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा नियमित रूप से गुणागुण (मेरिट) कोटि से की जायेगी ।

4. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिया गया है कि नियुक्ति में जो आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी वही व्यवस्था शिक्षण संस्थानों में नामांकन में भी लागू रहेगी ।

5. अतएव माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने झारखंड में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण की अंतरिम व्यवस्था की है जिससे संबंधित संकल्प संख्या-5776, दिनांक-10.10.2002 निर्गत किया गया है ।

6. राज्य सरकार ने इस संकल्प के प्रावधानों को राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए भी लागू करने का निर्णय लिया है ।

7. अतएव पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या- 3884, दिनांक- 5.11.2001 को अवक्रमित करते हुए अब राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विनिर्दिष्ट व्यावसायिक /तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में उपलब्ध सीटों के विरूद्ध नामांकन निम्नलिखित रूप से विनियमित किया जायेगा :-

(क)खुली गुणागुण(मेरिट)कोटि से:- प्रथम 27 प्रतिशत(नियमित रूप से)
शेष 23 प्रतिशत(तदर्थ/औपबंधिक रूप से)
कुल-50 प्रतिशत

(ख)आरक्षित कोटि से :- 50 प्रतिशत

(2) आरक्षित कोटि की 50 प्रतिशत में से आरक्षित उम्मीदवारों की विभिन्न कोटियों के लिए सीटें निम्न रूप में आवंटित होंगी :-

(क) अनुसूचित जाति	-	10 प्रतिशत
(ख) अनुसूचित जनजाति	-	26 प्रतिशत
(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग को एक समेकित कोटि मानकर)	-	14 प्रतिशत
		कुल- 50 प्रतिशत

R.V.Horo
Principal in-charge
Dr. S. Radhakrishanan Teachers' Training College, Sukrigarha
Lari, Ramgarh 825101

8. यदि नामांकन हेतु किसी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों तो उस वर्ग के लिए आरक्षित सीटों को निम्नांकित रूप से विनियमित किया जाएगा :-

(क) यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा और यदि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो तो अनुसूचित जाति के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा ।

(ख) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों ही कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हों तो अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार का नामांकन किया जायेगा ।

(ग) यदि इसके बाद सीटें बची रह जाती है तो उन्हें सामान्य कोटि के उम्मीदवारों से भरा जायेगा ।

9. जैसा कि सीधी नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान है कि मेरिट से चयनित उम्मीदवारों को आरक्षित सीटों के विरूद्ध सामंजित नहीं किया जायेगा बल्कि खुली गुणागुण कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों के विरूद्ध सामंजित माना जायेगा, वैसी ही व्यवस्था करते हुए व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में प्रवेश/नामांकन हेतु मेरिट से चुने गये नामांकन पाने वाले उम्मीदवारों को आरक्षण कोटि के विरूद्ध सामंजित नही माना जायेगा तथा उन्हें खुली गुणागुण कोटि की 50 प्रतिशत रिक्तियों के अन्दर माना जायेगा ।

10. विभिन्न विभागों से प्राप्त राज्य स्तरीय व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की सूची परिशिष्ट-1 के रूप में द्रष्टव्य है । अगर कोई राज्य स्तरीय व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों की सूची इस परिशिष्ट के अन्तर्गत नही भी है तो उसमें भी यह प्रावधान लागू होगा । इस सूची में समय-समय पर परिस्थिति के अनुसार किसी शिक्षण संस्थान का नाम जोड़ा या विलोपित किया जा सकता है ।

इस संकल्प में दिये गये प्रावधान तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा जिन व्यावसायिक/तकनीकी एवं सदृश शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु परीक्षा/आवेदन पत्र दिये जा चुके हैं, परन्तु नामांकन नहीं हुआ हो तो उन पर भी लागू होंगे ।

टिप्पणी :- (1) खुली गुणागुन (मेरिट) कोटि में आरक्षित कोटि अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग समेकित रूप से) के उम्मीदवार यदि सफल होते हैं तो उन्हें आरक्षित कोटि में नहीं गिने जाने का प्रावधान है । परन्तु ऐसा संभव है कि 23 प्रतिशत की खुली गुणागुण (मेरिट) कोटि के विरूद्ध जो तदर्थ/औपबंधिक नामांकन की जायेगी उनमें से

R.V.Hon
Principal-in-charge
Dr. S. Radhakrishanan Teachers' Training College, Sukrigarha Lari, Ramgarh 825101

आरक्षित कोटि के समुदाय के व्यक्ति भी शामिल हों और उन्हें आरक्षित क़ोटि के विरूद्ध नियमित रूप से नामांकन पाने वाले उम्मीदवारों से ज्यादा अंक प्राप्त हों । ऐसी स्थिति में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवारों को तदर्थ/औपबंधिक रूप से नामांकन करना अथवा कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से नामांकन करना न्यायोचित नहीं होगा । अतएव ऐसी परिस्थिति में अपेक्षाकृत कम अंक पाने वाले आरक्षित कोटि के सफल उम्मीदवारों को 23 प्रतिशत तदर्थ/औपबंधिक रूप से कोटि के अंतर्गत नामांकन किया जाय एवं अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को 50 प्रतिशत आरक्षित कोटि के अंतर्गत नियमित रूप से नामांकित किया जायेगा ।

(2) तदर्थ/औपबंधिक नामांकन के संबंध में जो भी नामांकन पत्र निर्गत होगा उसमें यह स्पष्ट अंकित होगा कि वह ऊपर कंडिका-3 में वर्णित माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या-WP (PIL) 3696/2002 रजनीश मिश्रा बनाम झारखंड सरकार एवं WP (PIL) 4706/2001 दिनेश नीरज शर्मा बनाम यूनियम ऑफ इन्डिया एवं अन्य में पारित होने वाले अंतिम आदेश से प्रभावित होगा ।

आदेश:- आदेश है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार/झारखंड, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

Sd/- 10-10-2002

(एस0 के0 चौधरी)

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ0-03/2001- 5800/ **राँची, दिनांक-** 10/10/2002

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को गजट के असाधारण *अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित* । उनसे अनुरोध है कि गजट की 200 प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को भेजें ।

Sd/- 10-10-2002

सरकार के सचिव ।

R.V.Hazo 21.7.23

Principal In-charge
Dr. S. Radhakrishanan Teachers' Training College, Sukrigarha
Lari, Ramgarh 825101

ज्ञाप संख्या-5/आ0-03/2001-5800 राँची, दिनांक- 10/10/2002

प्रतिलिपि- राज्यपाल सचिवालय/मुख्य मंत्री सचिवालय/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों/सभी राज्य पब्लिक अन्डरटेकिंग/परिषदों/निगमों/निकायों/विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/ विद्यालयों को इस संकल्प से अवगत करायें ।

10.10.2002

सरकार के सचिव ।

ज्ञाप संख्या-5/आ0-03/2001-5800 राँची, दिनांक- 10/10/2002

प्रतिलिपि- महानिबन्धक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, झारखंड विधान सभा/झारखंड लोक सेवा आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10.10.2002

सरकार के सचिव ।

R.V.H. 21/7/23

Principal In-charge
Dr. S. Radhakrishanan Teachers' Training College, Sukrigarha
Lari, Ramgarh 825101